

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग []]—खण्ड 4

PART lil—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H, 232| No. 232|

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2015/आषाढ़ 10, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2015/ASHADHA 10, 1937

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2015

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015

फा. सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2015.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदृद्धारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 है।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में,-
 - (1) विनियम 5 में,-
 - (क) उपविनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(3क) संयोजन के पक्षकार, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी और उसकी शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित प्ररूप 1 और प्ररूप 2 के टिप्पणों के अनुसार, यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में सूचना देंगे ।";
 - (ख) उपवितियम (8) के दूसरे परंतुक में, "केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (2) विनियम 6 के उपविनियम (2) में "दो प्रतियां" शब्दों के स्थान पर "एक प्रति" शब्द रखे जाएंगे ;

- (3) विनियम 8 के उपविनियम (2) में "इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 2 में सूचना फाइल करने का निदेश दे सकेगा जिसे सम्यक् रूप से भरा और सत्यापित किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस के संदाय का साक्ष्य भी लगा होगा", शब्दों के स्थान पर "आयोग द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार प्ररूप 1 या प्ररुप 2 में सूचना फाइल करने का निदेश दे सकेगा", शब्द रखे जाएंगे;
- (4) विनियम 9 में,--
 - (क) उपविनियम (1) के परंतुक में "कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कंपनी का कंपनी सचिव", शब्दों के स्थान पर "कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति", शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) उपविनियम 3 के परंतुक में "कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कंपनी का कंपनी सचिव", शब्दों के स्थान पर "कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति", शब्द रखे जाएंगे;
 - (ग) उपविनियम (4) में "सूचना फाइल की जा सकेगी" शब्दों के स्थान पर "सूचना फाइल की जाएगी" शब्द रखे जाएंगे;
- (5) विनियम 13 में,--
 - (क) उपविनियम (1) में "दो प्रतियां", शब्दों के स्थान पर "एक प्रति", शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "परंतु यदि संयोजन के पक्षकार, इन विनियमों के विनियम 30 के उपविनियम (1) के अधीन सूचना या दस्तावेज (दस्तावेजों) की गोपनीयता के लिए अनुरोध करते हैं तो ऐसा अनुरोध, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, सूचना और उसके इलैक्ट्रानिक पाठ के साथ, जिसे उसके जनता के लिए उपलब्ध पाठ में सम्यक् रूप से भरा गया है, फाइल किया जा सकेगा।";
 - (ख) उपविनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(1ख) संयोजन का संक्षिप्त विवरण, जिसमें कोई गोपनीय सूचना अंतर्विष्ट न हो, और जो पांच सौ शब्दों से अधिक न हो और जिसमें : (क) संयोजन के पक्षकारों के नाम ; (ख) संयोजन का प्रकार ; (ग) संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलाप का क्षेत्र ; और (घ) ऐसा (ऐसे) सुसंगत बाजार, जिससे संयोजन संबद्ध है, के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उसके इलैक्ट्रानिक प्ररूप को उपविनियम (1) के अधीन सूचना प्रवत्त करते समय पृथक् रूप से दिया जाएगा। इस उपविनियम के अधीन प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।";

(6) ब्रिनियम 14 में,--

- (क) उपविनियम (1) में "विधिमान्य और पूर्ण नहीं होगी जब तक कि वह इन विनियमों के अनुरूप न हो", शब्दों के स्थान पर "विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि वह पूर्ण और इन विनियमों के अनुरूप न हो", शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "(2क) उपिबिनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि आयोग की जानकारी में यह आता है कि ऐसी कोई सूचना उपिबिनियम (1) के अनुसार विधिमान्य नहीं है तो आयोग कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, इन दिनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन फाइल की गई सूचना को अविधिमान्य कर सकेगा और उस दशा में सचिव आयोग के इस विनिश्चय की सूचना, आयोग के ऐसे विनिश्चय के 7 दिन के भीतर संयोजन के पक्षकारों को संप्रेषित करेगा।";
- (ग) उपिविनियम (3) में "दस्तावेज (दस्तावेजों), में कोई त्रुटि (त्रुटियां) हैं या वे किसी भी रूप में अपूर्ण हैं, वहां संयोजन के पक्षकारों को आयोग द्वारा ऐसी त्रुटि (त्रुटियों) को दूर करने या दस्तावेज (दस्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा", शब्दों के स्थान पर "दस्तावेज किसी भी रूप में अपूर्ण हैं, वहां संयोजन के पक्षकारों को आयोग द्वारा ऐसी त्रुटि (त्रुटियों) को दूर करने या दस्तावेज

(दक्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा", शब्द रखे जाएंगे ;

(7) विनियम 17 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यदि आयोग का अनुमोदन, संयोजन के पक्षकारों द्वारा संयोजन में कोई उपांतरण करने की शर्त के अधीन है, तो इन विनियमों के विनियम 26 के अधीन आयोग द्वारा अनुपालन रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के पश्चात् कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी।";

- (8) विनियम 19 में,--
 - (क) उपविनियम (1) में "30 दिन", शब्दों के स्थान पर "30 कार्य दिवसों", शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) उपविनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "परंतु ऐसे उद्यम (उद्यमों) से जानकारी अभिप्राप्त करने में लगने वाले समय को, इस विनियम के उपविनियम (1) में उपबंधित समय में से घटा दिया जाएगा, जो कि 15 कार्य दिवसों से अधिक नहीं

परतु एस उद्यम (उद्यमा) से जानकारी आमग्राप्त करने में लगन वाल समय का, इस जिनवम के उपिनियम (1) में उपबंधित समय में से घटा दिया जाएगा, जो कि 15 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगा।";

- (9) विनियम 30 में,--
 - (क) उपविनियम (1) में "अनुरोध में, अन्य बातों के साथ, स्पष्ट रूप से कारणों, औचित्य और संयोजन के पक्षकारों के कारबार के लिए विवक्षाओं का कथन होना चाहिए", शब्दों के स्थान पर "अनुरोध में स्पष्ट रूप से कारणों, औचित्य और संयोजन के पक्षकारों के कारबार के लिए विवक्षाओं का कथन होगा", शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(3) गोपनीयता के लिए अनुरोध करने वाले पक्षकार यह कथन करते हुए कि भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 35 में विहित शर्तों का समाधान कर दिया गया है, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 42 में यथाविनिर्दिष्ट एक शपथपत्र फाइल करेंगे।";
- (10) इन विनियमों की अनुसूची 1 में, प्रवर्ग 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रवर्ग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(10) अधिनियम की धारा 31 के अधीन भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के अनुसरण में और उसके अनुसार उसके द्वारा अनुमोदित किसी केता द्वारा शेयरों का अर्जन, नियंत्रण, मताधिकार या आस्तियां।";
- (11) अनुसूची 2 में प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररुप 1

रजिस्ट्रीकरण सं. : (भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिया जाना है)

अधिसूचना देने वाले पक्षकार (पक्षकारों) द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित जानकारी

भाग 1 : आधारिक जानकारी

- 1. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के संबंध में जानकारी :
 - 1.1 संयोजन के पक्षकार (पक्षकारों) का विधिक नाम :
 - 1.2 रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागू हो) :
 - 1.3 रजिस्ट्रीकृत पता/प्रधान कारबार का पता :
 - 1.4 नगर : देश : पिन/पोस्टल/जिप कोड :
 - 1.5 संपर्क ब्यौरा (प्रत्येक मामले में, टेलीफोन नं., मोबाइल नं., फैक्स नं., जिसके अंतर्गत देश/नगर/एरिया कोड भी है)
 - 1.6 ई-मेल पता :

- 1.**7 वेबसाइट^{र्र}पता** :
- 1.8 निगमन/सृजन की अधिकारिता:
- 1.9 संयोजन में पक्षकार (पक्षकारों) की भूमिका :
- 1.10 संयोजन के पक्षकारों द्वारा प्रारंभ किए गए क्रियाकलायों का सुसंगत चार अंकों का राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
- 1.11 फाइल करने से पूर्व परामर्श, यदि कोई हो, की तारीख :
- 1.12 संयोजन के पक्षकार (पक्षकारों) की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम (सूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्रता का दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

भाग 2 : फीस के संदाय का साक्ष्य

2. जमा की गई फीस के ब्यौरे, संदाय की पद्धति और साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराएं।

भाग 3 : संसूचना संबंधी प्राधिकार

3. भारत में अवस्थित ऐसे व्यष्टि के ब्यौरे (ऊपर भाग 1 में यथा उपबंधित सुसंगत प्ररूप में) उपलब्ध कराएं, जो सूचना और उससे संबद्ध जांच/कार्यवाहियों के संबंध में सूचना देने वाले पक्षकारों में से प्रत्येक की ओर से संसूचना (संसूचनाएं) प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।

भाग 4: अवसीमाओं की पूर्ति

4. अधिसूचित किए जाने वाले संयोजन की प्रकृति को वर्णित करें और यह भी बताएं कि किस प्रकार उक्त अधिसूचना अधिनियम की धारा 5 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नीचे उपबंधित प्ररूप में आस्तियों और आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध कराएं:

पक्षकारों का नाम	(तारीख को) आस्तियां		(वित्तीय वर्ष के लिए)	
			आवर्त	
	भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (दस लाख यूएस डालर में)	भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (दस लाख यूएस डालर में)
पक्षकार 1			·	
पक्षकार 2				
संयोजन				

भाग 5 : संयोजन का संक्षिप्त विवरण

5. संयोजन विनियमों के विनियम 13(1क) और विनियम 13(1ख) के निबंधनानुसार सूचना के साथ संयोजन का संक्षिप्त विवरण भी फाइल किया जाना चाहिए।

भाग 6 : संयोजन का वर्णन

- 6. निम्नलिखित के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए संयोजन का वर्णन करें :
- 6.1 संयोजन के पक्षकारों का नाम।
- 6.2 संयोजन की संरचना को स्पष्ट करें, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं (जहां कहीं लागू हो, करार (करारों) के अधीन सुसंगत खंड के प्रतिनिर्देश से) :
- 6.2.1 संयोजन की प्रत्येक उपलब्धि के लिए समयबद्धता के साथ संयोजन के प्रत्येक कदम को उपदर्शित करें।
- 6.2.2 संयोजन से पूर्व और उसके पश्चात्, (क) संयोजन के पक्षकारों के स्वामित्व और नियंत्रण की संरचना ; और (ख) उद्यमों के लिए, जिनकी संरचना स्वामित्व और नियंत्रण ऐसे संयोजनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो ।
- 6.2.3 संब्यवहार का मूल्य, अर्थात् क्रय मूल्य (या यथास्थिति, अंतर्वलित सभी आस्तियों का मूल्य) । कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या प्रतिफल साम्या, नकद या अन्य आस्तियों के रूप में है और ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

- 6.3 कृपया संयोजन का प्रयोजन स्पष्ट करें (जिसके अंतर्गत संयोजन के पक्षकारों में से प्रत्येक का कारबार उद्देश्य और/या आर्थिक व्यवस्थिकरण भी है और उनकी पूर्ति किस प्रकार आश्यित है)।
- 6.4 कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या प्रस्तावित संयोजन भारत से भिन्न अधिकारिताओं में फाइल करने संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन है ? यदि हां, तो इस प्रकार फाइल करने की प्रास्थिति उपलब्ध कराएं।
- 6.5 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट उद्यम (उद्यमों) के निदेशक बोर्ड द्वारा विलयन या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन और/या करार/अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अर्जन या नियंत्रण के अर्जन के संबंध में निष्पादित अन्य दस्तावेज की प्रतियां, प्ररूप 1 के टिप्पणों में यथा सूचीबद्ध समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ, यदि लागू हो, प्रस्तुत करें।
- 6.6 उस दशा में, जहां संयोजन से संबंधित करारों/अन्य दस्तावेजों में प्रतिस्पर्धा न करने संबंधी खंड सम्मिलित है या संयोजन के पक्षकारों ने संयोजन के संबंध में प्रतिस्पर्धा न करने संबंधी करार का निष्पादन किया है या निष्पादन करने का प्रस्ताव किया है, वहां निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने चाहिए:
- 6.6.1 विस्तार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत (i) प्रतिस्पर्धा न करने के उपबंध के अंतर्गत आने वाले उद्यम ; (ii) प्रतिस्पर्धा न करने संबंधी खंड (खंडों) के अंतर्गत आने वाली अविध ; भौगोलिक विस्तार और उत्पाद/सेवाएं।
- 6.6.2 ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार प्रत्येक तत्व को अंतर्विष्ट करने वाले प्रतिस्पर्धा न करने संबंधी उपबंधों का औचित्य।

भाग 7 : संयोजन के पक्षकारों के सबध में ब्यौरे और क्षेत्र का पर्यावलोकन

- 7. नीचे दिए गए अनुसार संयोजन के पक्षकारों के ब्यौरे और क्षेत्र का पर्यावलोकन प्रस्तुत करें :
- 7.1 संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के लिए निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध कराएं।
- 7.1.1 भारत में विद्यमान रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों की सूची और/या भारत में भौतिक उपस्थिति (उदाहरण के लिए, विक्रय कार्यालय, कारखाना, संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय आदि)।
- 7.1.2 उस समूह का नाम, जिससे संयोजन के पक्षकार संबंध रखते हैं।
- 7.1.3 भारत में प्रयुक्त व्यापार का नाम, कारबार का नाम और/या ब्रांड का नाम ।
- 7.1.4 विश्वव्यापी क्रियाकलापों का संक्षिप्त पर्यावलोकन।
- 7.1.5 भारत में क्रियाकलापों का संक्षिप्त पर्यावलोकन ।
- 7.2 संयोजन के पक्षकारों के उत्पादों (विनिर्मित और/या विक्रित) और/या सेवाओं की पृथक् सूची/ब्यौरे उपलब्ध कराएं ।
- 7.3 ऊपर 7.2 के प्रतिनिर्देश से, क्या संयोजन के पक्षकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों का उत्पादन करते हैं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।
- 7.4 कृपया कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकारों में से कोई पक्षकार ऐसे उत्पादों या सेवाएं उपलब्ध कराने के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय और मरम्मत या व्यापार से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा है, जो ऐसी उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिसमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार भी अंतर्वलित है ? यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।
- 7.5 क्या संयोजन के किसी पक्षकार के पास किसी ऐसे अन्य उद्यम (उद्यमों) की, जो (क) समान/एकसमान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों के उत्पादन वितरण या व्यापार में या समान/एकसमान/प्रतिस्थापनीय सेवाओं के प्रदाय में लगा है; और/या (ख) ऐसे उत्पादों या सेवाएं उपलब्ध कराने के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, मंडारण, विक्रय और मरम्मत या व्यापार से संबंधित किसी कियाकलाप में लगा है, जो ऐसी उत्पादन शृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिसमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार भी अंतर्विलत है? यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।
- 7.6 ऐसे क्षेत्रों का संक्षिप्त पर्यावलीकन उपलब्ध कराएं, जिससे संयोजन संबंधित है।

भाग 8: सुसंगत बाजार

8.1 संयोजन के पक्षकारों के अनुसार सुसंगत उत्पाद और भौगोलिक बाजार क्या हैं ? सुसंगत उत्पादों और सुसंगत भौगोलिक 2409 अग्री 15-2 बाजार की रूपरेखा के संबंध में ब्यौरेवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

- 8.2 क्या संयोजन के पक्षकार उसी सुसंगत बाजार में किसी कारबार संबंधी क्रियाकलापों में लगे हैं ? यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें।
- 8.3 भारत में उत्पादित/वितरित/प्रदत्त एकसमान/समान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के विक्रय मूल्य (रुपयों में) और मात्रा (यूनिट में) के निबंधनानुसार बाजार के कुल आकार का प्राक्कलन उपलब्ध कराएं (प्राक्कलन के सुसंगत स्रोत और आधार को दर्शित करें)।
- 8.4 भारत में उत्पादित/वितरित/प्रदत्त एकसमान/समान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के लिए संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के बाजार शेयर के प्राक्कलन के साथ विकय के मूल्य (रुपयों में) और मात्रा (यूनिट में) के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध कराएं। किसी समूह की दशा में यह जानकारी समूह के सभी उद्यमों को दी जानी चाहिए।
- 8.5 पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों (उनके बाजार शेयर के साथ), ग्राहकों और प्रदायकर्ताओं का नाम और संपर्क के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।
- 8.6 उस दशा में, जहां संयोजन के पक्षकार ऐसे उत्पादों या सेवाएं उपलब्ध कराने के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय और मरम्मत या व्यापार से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा है, जो ऐसी उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिसमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार भी अंतर्विलत है, तो ऐसे ब्यौरे उपलब्ध कराएं, जिनमें अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित भी हैं:
- 8.6.1 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बाजार का बाजार आकार ।
- 8.6.2 संयोजन के प्रत्येक पक्षकार का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बाजार में बाजार आकार।
- 8.6.3 पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों का अपस्टीम और डाउनस्ट्रीम बाजार में बाजार आकार।
- 8.6.4 संयोजन के पक्षकारों के बीच विद्यमान प्रदाय व्यवस्थाएं, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहारों के मूल्य और प्रत्येक बाजार में कुल विक्रय/उपभोग के संबंध में संबंधित पक्षकारों के ऐसे विक्रय/उपभोग के प्रतिशत सहित। सत्यापन

मैं(ताम) (पदनाम), संयोजन का (पहला/दूसरा) पक्षकार, एतद्द्वारा यह सत्यापित व	करता हूं कि उपरोक्त प्ररूप
की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और उसमें किसी भी सारवान सामग्री	को छिपाया नहीं गया है ।
(स्थान) पर (तारीख) को सत्यापित ।	•

(नाम)

(पदनाम)

(कंपनी)

(एक से अधिक आवेदकों की दशा में समान प्ररूप का उपयोग करें)

महत्वपूर्ण : संयोजनकारी पक्षकार (पक्षकारों) को इसकी अंतर्वस्तु का, इस प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ और इस पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके सत्यापन करना चाहिए।

मेरे समक्ष निम्नलिखित स्थान पर शपथ पर प्रस्तुत किया गया है

नगर: राज्य: देश: तारीख: हस्ताक्षर:

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक : (नोटेरी पब्लिक)

(मुहर)" ।

समेता झिंगरान, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा/187-एम/ 15 (120)]

टिप्पण - मूल विनियमों को अधिसूचना सं.फा.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/ सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में प्रकाशित किया गया था और उनमें निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती

संशोधन किए गए थे:--

- (क) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 फा.सं.3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/ सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाक्षारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में प्रकाशित किया गया था।
- (ख) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 फा.सं.3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/ सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित किया गया था।
- (ग) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन वितियम, 2014 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विति./ 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 28 मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2015

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015

F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2015—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.-

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,-
 - (1) in regulation 5,-
 - (a) aftersub-regulation (3) the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 - "(3A) The parties to the combination shall give notice in Form I or Form II, as the case may be, in accordance with the notes to Form I and Form II issued by the Commission and published on its official website, from time to time.";
 - (b) in sub-regulation (8), in the second proviso, the words "the Central Government or State Government or" shall be omitted;
 - (2) in regulation 6, in sub-regulation (2), for the words "two copies", the words one copy shall be substituted;
 - (3) in regulation 8, in sub-regulation (2), for the words "in Form II, as specified in Schedule II to these regulations, duly filled in, verified and accompanied by evidence of requisite fee", the words "in Form I or Form II, as decided by the Commission" shall be substituted;
 - (4) in regulation 9,-
 - (a) in sub-regulation (1), in the proviso, for the words "the Company Secretary of the company, duly authorised by the board of directors of the company", the words "any person duly authorised by the board of directors of the company for the said purpose "shall be substituted;

- (b) in sub-regulation (3), in the proviso, for the words "the Company Secretary of the company, duly authorised by the board of directors of the company", the words "any person duly authorised by the board of directors of the company for the said purpose" shall be substituted;
- (c) in sub-regulation (4), for the words "may be filed by the parties", the words "shall be filed by the parties" shall be substituted;
- (5) in regulation 13,-
 - (a) in sub-regulation (1), for the words "two copies", the words "one copy" shall be substituted;
 - (b) after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if the parties to the combination request confidentiality of information or document(s) under sub-regulation (1) of regulation 30 of these regulations, such request may be filed as per the procedure laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, along with a duly filled in public version of the notice and an electronic version thereof,";

(c) after sub-regulation (1A), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1B) A summary of the combination, not containing any confidential information, in not more than 500 words, comprising details regarding: (a) name of the parties to the combination; (b) the type of the combination; (c) the area of activity of the parties to the combination; and (d) the relevant market(s) to which the combination relates, along with an electronic version thereofshallbe separately given while delivering the notice under sub-regulation (1). The summary submitted under this sub-regulation shall be published on the website of the Commission.";

- (6) in regulation 14,-
 - (a) in súb-regulation (1), for the words "and complete unless it is", the words "unless it is complete and "shall be substituted;
 - (b) aftersub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:
 - "(2A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the Commission may, after recording reasons, invalidate a notice filed under regulation 5 or regulation 8 of these regulations when it comes to the knowledge of the Commission that such notice is not valid as per sub-regulation (1) and, in that case, the Secretary shall convey the decision of the Commission to the parties to the combination within seven days of such decision of the Commission.";
 - (c) in sub-regulation (3), for the words "has any defects or is incomplete in any respect, the parties to the combination shall", the words "is incomplete in any respect, the parties to the combination may shall be substituted;
- (7) in regulation 17, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if the approval of the Commission is conditional upon the parties to the combination carrying out modification to the combination, the proceedings shall terminate upon acceptance of the compliance report by the Commission under regulation 26 of these regulations.";

- (8) in regulation 19,-
 - (a) in sub-regulation (1), for the words "thirty days", the words "thirty working days" shall be substituted:
 - (b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the time taken in obtaining the information from such enterprise(s) shall be excluded from the time, not exceeding fifteen working days, provided in sub-regulation (1) of this regulation.";

(9) in regulation 30.-

- (a) in sub-regulation (2), for the words "may, inter alia, clearly state" the words "shall clearly state" shall be substituted;
- (b) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 - "(3) The parties requesting for confidentiality shall file an affidavit as specified in regulation 42 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 stating that the conditions prescribed in regulation 35 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 are satisfied.":
- (10) in Schedule I to these regulations, after category9, the following category shall be inserted, namely:-
 - "(10) Acquisition of shares, control, voting rights or assets by a purchaser approved by the Commission pursuant to and in accordance with its order under section 31 of the Act.";
- (11) in Schedule II, for Form I, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM I

Registration No: (to be assigned by the Competition Commission of India) Information required to be filled in by the notifying party(ics)

Part I: Basic information

- I. Information about each of the party to the combination:
 - 1.1 Legal name of party(ics) to the combination:
 - 1.2 Registration number (if applicable):
 - 1.3 Registered address / Principal business address:
 - 1.4 City: Country: Pin/Postal/Zip Code:
 - 1.5 Contact details (Telephone no, Mobile no, Fax no., in each case, including Country/City/Area Code):
 - 1.6 E-mail address:
 - 1.7 Website address:
 - 1.8 Jurisdiction of incorporation/formation:
 - 1.9 Role of the party(ics) to the combination:
 - 1.10 Relevant 4 digit National Industrial Classification of the activities undertaken by the parties to the combination:
 - 1.11 Date of pre-filing consultation, if any:
 - 1.12 Name of the person signing on behalf of the party(ies) to the combination (enclose documentary proof of eligibility for signing the notice):

Part II: Proof of payment of fees

2. Provide details of fee deposited along with mode and the proof of payment.

Part III: Authorization regarding communication

3. Provide details (in the relevant format as provided in Part I above) of an individual located in India who is authorized to receive communication(s) on behalf of each of the notifying party(ies) regarding the notice and related inquiry/proceedings.

Part IV: Meeting the thresholds

4. Describe the nature of the combination being notified and how the said notification falls within the 2909-92715-3

purview of section 5 of the Act. Give details of assets and turnover in the format provided below:

Name of the Parties	Assets (as on)		Turnover (for FY)	
	In India (in INR crore)	Worldwide (in USD million)	In India (in INR crore)	Worldwide (in USD million)
Party 2				
Combined				

Part V: Summary of the combination

5. A summary of the combination in terms of regulation 13(1A) and regulation 13(1B) of the Combination Regulations must be filed along with the notice.

Part VI: Description of the combination

- 6. Describe the combination by providing information regarding the following:
- 6.1 Name of the parties to the combination.
- 6.2 Explain the structure of the combination, including the following [with reference to relevant clause under the agreement(s), where applicable]:
 - 6.2.Undicate each step of the combination along with timelines for each milestone of the combination.
 - 6.2.2 Structure, ownership and control, prior to and after the combination, of: (a) the parties to the combination; and (b) for the enterprises, whose structure, ownership and control will be directly or indirectly affected by such combination.
 - 6.2.3 Value of the transaction, i.e., the purchase price (or the value of all assets involved, as the case may be). Specify whether the consideration is in the form of equity, cash, or other assets and provide details.
- 6.3 Please explain the purpose (including business objective and/or economic rationale for each of the parties to the combination and how are they intended to be achieved) of the combination.
- 6.4 Please specify if the proposed combination is subject to filing requirements in jurisdictions other than India? If yes, provide status of such filings.
- 6.5 Furnish copies of approval of the proposal relating to merger or amalgamation by the board of directors of the enterprise(s) concerned referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the Act and/or agreement /other document executed in relation to the acquisition or acquiring of control referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 6 of the Act along with the supporting documents as listed in the Notes to Form I, if applicable.
- 6.6 In case the agreements/other documents relating to the combination contain a non-compete clause or the parties to the combination have executed/or propose to execute a non-competition agreement in relation to the combination, the following details must be provided:
 - 6.6.1 Scope, including: (i) the enterprises covered by the non-compete provision; and (ii) period; geographic scope and the products/services covered under the non-compete clause(s).

6.6.2 Justification for the non-compete provisions covering each of the elements as mentioned above.

Part VII: Details about parties to the combination and sector overview

- 7. Furnish details about the parties to the combination along with an overview of the sector as given below:
 - 7.1 For each of the parties to the combination, provide details regarding the following:
 - 7.1.1List the registered entities in India and/or the physical presence in India (for example, sales office, factory, liaison office, branch office, etc.).
 - 7.1.2Name of the group to which the party to the combination belongs.
 - 7.1.3 Trading name, business name and/or the brand names used in India.
 - 7.1.4Brief overview of activities worldwide.
 - 7.1.5Overview of the activities in India.
 - 7.2 Provide separately a list/details of the products (manufactured and/or sold) and/or services of the parties to the combination.
 - 7.3 In reference to 7.2 above, do the parties to the combination produce/provide similar or identical or substitutable products or services either directly or indirectly? If yes, provide details.
 - 7.4 State whether any of the parties to the combination are engaged in any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved. If yes, provide details.
 - 7.5 Do any of the parties to combination have direct or indirect shareholding and/or control over another enterprise(s) engaged in (a) production, distribution or trading of similar/identical/substitutable products or provision of similar/identical/substitutable services; and/or (b) any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved? If yes, provide details.
 - 7.6 Provide a brief overview of the sector(s) to which the combination belongs.

Part VIII: Relevant Market(s)

- 8.1 What, according to the parties to the combination, is the relevant product and geographic market? Provide a detailed explanation regarding the delineation of relevant product and relevant geographic market.
- 8.2 Whether the parties to combination are engaged in any business activities in the same relevant market? If yes, specify.
- 8.3 Provide an estimate indicating the relevant source and the basis of estimate of the total size of the market, in terms of value of sales (in rupees) and volume (units), of identical/substitutes/similar products or services produced/distributed/supplied in India.
- 8.4 Provide details with regard to the sales in value (in rupces) and volume (units) along with an estimate of the market share(s) of each of the parties to the combination for identical/substitutes/similar products or services produced/distributed/supplied in India. In case of a group, same information should be given for all the enterprises of the group.
- 8.5 Provide name and contact details of the five largest competitors (along with their market

shares), customers and suppliers.

- 8.6 In the event the parties to the combination are engaged in any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved, provide details, including inter alia,:
 - 8,6.1 Market size of the upstream and the downstream market.
 - 8.6.2 Market share of each of the party(ies) to the combination in the upstream and downstream market.
 - 8.6.3 Market share of five largest competitors in the upstream and downstream market.
 - 8.6.4Existing supply arrangements between the parties to the combination along with value of such transactions during the previous financial year and percentage of such sales/consumption of the respective parties in relation to the total sales/consumption in each of the market(s).

VERIFICATION

I, [NAME], [DESIGNATION], of the [FIRST/SECOND] party (ies) to the combination, do hereby verify that the contents of the above Form are true and correct to the best of my knowledge and that nothing material has been concealed there from.

VERIFIED AT [PLACE] ON THIS [DATE]

[NAME]

[DESIGNATION]

[COMPANY]

[In case there are more than one applicants use the same format.]

IMPORTANT: THE PARTY(IES) TO COMBINATION MUST VERIFY THE CONTENTS OF THE FORM BY SIGNING ON THIS PAGE.

Subscribed and sworn to before me at the

City: State: Country: Date: Signature: Registration Number: (Notary public)

[SEAL.]"

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT III/4/Exty./187-M/15(120)]

Note: Principal Regulations were published vide Notification No. F. No. 1-1/ Combination Regulations/2011-12/CD/CCl in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4,dated the 11th May, 2011 and were subsequently amended by,-

- (a) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb. Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rdFebruary, 2012;
- (b) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb. Reg I./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th April, 2013; and
- (c) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 28th March, 2014.